किशोर न्याय बोर्ड, बिहार के समक्ष कथित सीआईसीएल की आयु निर्धारण के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी)

- किशोर होने का दावा करने वाला व्यक्ति या उसके माता–पिता/संरक्षक/निकटतम मित्र/वकील, जैसा भी मामला हो, संबंधित किशोर न्याय बोर्ड को उसके द्वारा पढाई किये गए सभी स्कूलों के बारे में पूरी जानकारी तथा अपने वर्तमान और स्थायी पते के साथ–साथ अपना पूरा पता भी देंगे।

  इसके अलावा, यदि किसी बच्चे को कानून का उल्लंघन करते हुए पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है, तो बोर्ड विशेष किशोर पुलिस इकाई (एसजेपीयू)/बाल कल्याण पुलिस अधिकारी (सीडब्ल्यूपीओ)/स्थानीय पुलिस से ऐसे बच्चे की आयु के सत्यापन के संबंध में रिपोर्ट मांग सकता है।

- उपरोक्त जानकारी के साथ स्कूल (प्रथम बार पढ़ा गया स्कूल) से जन्मतिथि प्रमाणपत्र की मूल, सत्यापित फोटोकॉपी, या संबंधित परीक्षा बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समकक्ष प्रमाणपत्र, यदि उपलब्ध हो, संलग्न करना होगा। इनके अभाव में, निगम या नगर प्राधिकरण या पंचायत द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र की मूल/सत्यापित फोटोकॉपी दाखिल की जाएगी।

- बोर्ड की संतुष्टि के लिए, किशोर होने का दावा करने वाले व्यक्ति के माता–पिता/अभिभावक/निकट मित्र, जैसा भी मामला हो, द्वारा एक शपथ पत्र/उपक्रम दाखिल किया जाएगा, जिसमें यह कहा जाएगा कि किशोर होने के दावे के समर्थन में दाखिल किए गए दस्तावेज वास्तविक हैं और उनकी सामग्री सत्य है। उपरोक्त शपथ पत्र/उपक्रम, जैसा भी मामला हो, में निम्नलिखित घोषणा भी शामिल होगी:
  (क) कोई अन्य प्रमाण पत्र/दस्तावेज, जो उसकी जन्म तिथि को प्रकट करता हो और स्कूल/परीक्षा बोर्ड/निगम/नगर प्राधिकरण/पंचायत द्वारा जारी किया गया हो, जानबूझकर छुपाया नहीं गया है;
  (ख) क्या ऐसे बच्चे का कोई आयु आकलन पहले किसी अन्य न्यायिक कार्यवाही में किशोर न्याय बोर्ड या न्यायालय के समक्ष किया गया है या नहीं; और
  (ग) यदि दाखिल किया गया कोई दस्तावेज/जानकारी गलत पाई जाती है, तो वह स्वयं को कानून के अनुसार अभियोजन के लिए उत्तरदायी बनाया।

- कथित सी आई सी एल की आयु निर्धारण के समय अपराध के पीड़ित/सूचनाकर्ता को सूचित करना अनिवार्य प्रथा बनाया जाना चाहिए, क्योंकि पीड़ित से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह तटस्थ रहे और मूक दर्शक बना रहे।

- यदि बोर्ड कथित सी आई सी एल की आयु का निर्धारण केवल शारीरिक रूप–रंग के आधार पर कर रहा है, तो बोर्ड के लिए यह स्पष्ट होना चाहिए कि ऐसे कथित सी आई सी एल का शारीरिक रूप–रंग बच्चे जैसा है। सामान्य रूप से, यह प्रथा 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के मामले में सुरक्षित रूप से अपनाई जा सकती है।

- यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पहली बार में, संबंधित बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समकक्ष प्रमाणपत्र के अभाव में, उस स्कूल द्वारा जारी जन्म तिथि प्रमाणपत्र, जिसमें बच्चे ने पहली बार प्रवेश लिया था, और स्कूल प्रवेश रजिस्टर, जहां बच्चे ने पहली बार पढ़ाई की थी, को धारा 94(2) के तहत आयु निर्धारण के लिए विचार में लिया जाए। स्कूल छोड़ने के प्रमाणपत्र के आधार पर कथित सी आई सी एल द्वारा किसी अन्य स्कूल में लिया गया प्रवेश रजिस्टर उनकी वास्तविकता सुनिश्चित करने के लिए जांचा जा सकता है।

किशोर न्याय बोर्ड, बिहार के समक्ष कथित सीआईसीएल की आयु निर्धारण के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी)

- यदि कथित सी आई सी एल /उसके विद्वान अधिवक्ता/उसके माता–पिता/अभिभावक/निकट मित्र द्वारा उसकी जन्म तिथि से संबंधित कोई दस्तावेज दाखिल किया गया है, तो बोर्ड ऐसे दस्तावेज को संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (डी ई ओ) को सत्यापन के लिए भेजेगा और दस्तावेजों की वास्तविकता को ठीक करने से पहले सुनिश्चित किया जाएगा। संबंधित डी ई ओ कथित सी आई सी एल की जन्म तिथि से संबंधित प्रत्येक दस्तावेज का सत्यापन करेगा और बोर्ड में अपनी रिपोर्ट भेजेगा। बोर्ड संबंधित डी ई ओ के माध्यम से कथित सी आई सी एल के प्रथम बार पढ़े गए स्कूल के प्रवेश रजिस्टर, स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र को मंगवाएगा और उपस्थिति पत्रक, शुल्क रसीद, पहचान पत्र और सरकारी योजनाओं के तहत छात्र (कथित सी आई सी एल) को प्रदान किए गए लाभ जैसे समकालीन दस्तावेज मंगवाना उचित होगा। हालांकि, ये केवल प्रवेश रजिस्टर की वास्तविकता को संतुष्ट करने के लिए हैं। इसे जन्म तिथि के प्रविष्टि की सत्यता में व्यापक जांच के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए।
- संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (डी ई ओ) प्रथम बार पढ़े गए स्कूल के प्रधानाध्यापक या अधिकृत व्यक्ति को प्रस्तुत करेगा, जो प्रधानाध्यापक /शिक्षक के हस्ताक्षर और प्रवेश रजिस्टर/स्कूल छोड़ने के प्रमाणपत्र आदि में की गई प्रविष्टियों से अच्छी तरह परिचित हो। कथित सी आई सी एल की आयु निर्धारण के समय जांच साक्ष्य की सराहना करते समय, बोर्ड को प्रस्तुत दस्तावेजों की वास्तविकता सुनिश्चित करने के लिए एक बुद्धिमान जांच करनी होगी। यह किशोर न्याय बोर्ड का दायित्व है कि वह साक्ष्य की सराहना करे और विषय के न्यायिक निर्णयों को ध्यान में रखते हुए उचित दृष्टिकोण अपनाए।

- यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि आयु के प्रमाण के समर्थन में प्रस्तुत मूल दस्तावेजों का बार कोड/क्यूआर कोड विधिवत स्कैन और सत्यापित किया जाए ताकि इसकी वास्तविकता का पता लगाया जा सके। यदि दस्तावेज पर बार कोड/क्यूआर कोड उपलब्ध नहीं है, तो स्कूल छोड़ने के प्रमाणपत्र की वास्तविकता को संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के माध्यम से सत्यापित किया जा सकता है।
- कोरम के संबंध में, बोर्ड किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 7 के साथ बिहार किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) नियम, 2017 के नियम 5 का पालन करेगा, जब कथित सी आई सी एल की आयु निर्धारण किया जाएगा।

नोट: यह निर्देश दिया गया है कि कथित सी आई सी एल की आयु निर्धारण से निपटने वाले सभी किशोर न्याय बोर्ड, कथित सी आई सी एल की आयु निर्धारण के समय उपरोक्त दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे।